न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 273/2021 तारीख रजू:— 02.07.2021

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. जमनी पत्नि शीतल | जाति मीना, निवासी खेडी घाटम,
2. वर्षा पुत्री शीतल | तहसील हिण्डौन, जिला करौली राजस्थान। ———सायलान

बनाम

1. गंगासहाय पुत्र किशोरी | जाति मीना, निवासी खेडी घाटम,
2. धर्मेन्द्र पुत्र गंगासहाय | तहसील हिण्डौन, जिला करौली राजस्थान।
3. तहसीलदारजी तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान
4. श्रीमती सुमन मीना धर्म पत्नि श्री दिनेश मीना जाति मीना निवासी मण्डावरा तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान ———————————— गैरसायलान

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :— 1. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट सायलान
2. श्री पी.एल. गोयल एडवोकेट गैरसायल सं01,4

निर्णय

दिनांक :—10.11.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि सायलान ने इस सम्मानीय अदालत हाजा में गैरसायलान के विरूद्ध उक्त उनवानी का दावा बाबत इस्तकरारहक, तकास्मा एवम् स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर दिया है। जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि आराजी ख.नं. 460 रकबा 0.55 है0, ख.नं. 466 रकबा 0.47 है0, ख.नं. 467 रकबा 0.38 है0, ख.नं. 468 रकबा 0.31 है0, ख.नं. 507 रकबा 0.29 है0, ख.नं. 508 रकबा 0.20 है0, ख.नं. 551/1246 रकबा 0.19 है0, ख.नं. 552 रकबा 0.04 है0, ख.नं. 553 रकबा 0.06 है0, 556 रकबा 0.09 है0, कुल किता 10 कुल रकबा 2.58 है0 स्थित ग्राम खेड़ीघाटम तहसील हिण्डौन में सायला सं. 1

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

के पति व सायल सं. 2 के पिता मृतक शीतल का 1/2 हिस्से पर काबिज एवं दखील हैं एवं ख. नं. 387 रकबा 43 एयर स्थित ग्राम खेड़ीघाटम में वादीगण 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि बाका दिनांक 29.06.2021 को सुबह 10 बजे सायलान अपने हिस्से की आराजी को आगामी फसल बाबत तैयार कर रही थी, कि गैरसायलान हमराहीयान मौके पर आये एवं कहने लगे कि अब तुम इन खेतों को काश्त मत करना। ये सारे खेत हमारे हैं सायलान ने गैरसायलान को समझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन गैरसायलान किसी की एक मानने को तैयार नहीं हुये। एवं सायलान के हिस्से पर जबरन कब्जा करने की फिराक में हैं। इसलिये दावा व सम्बन्धित प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि अगर गैरसायलान अपने उक्त गैरकानूनी मंसूबे में कामयाब हो गये तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार इन टर्मस ऑफ मनी नहीं हो सकेगी, जबकि गैरसायलान को पाबन्द फरमाने से उन्हें कोई क्षति किसी भी प्रकार की नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि इस तरह प्राईमफेसी केश व सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि गैरसायलान को जरिये आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला मुकदमा इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि आराजी खसरा नम्बर है0,, 466, 467, 468, 507, 551/1246, 552, 553, 556 कुल किता 10 कुल रकबा 2.58 है0 एवं खसरा नम्बर 387 रकबा 0.43 है0 स्थित ग्राम खेडीघाटम तहसील हिण्डौन से सायलान को बेदखल कर स्वंय कब्जा नहीं करें, कोई निर्माण कार्य नहीं करें। सायलान के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत नहीं करें। ऐसा कोई कार्य ना तो स्वंय करें ना ही किसी अन्य से करावें, जिससे हकूक सायलान पर प्रतिकूल प्रभाव पडे। आराजीयात को रहन, वय नहीं करें। रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल सं01 व 4 ने जबाव प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में सायलान द्वारा निराधार तथ्यों पर उक्त उनवानी दावा बाबत इस्तकरारहक, तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश करना

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

मात्र स्वीकार है, किन्तु सायलान को उक्त दावे में सफलता की लेशमात्र भी कोई संभावना नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में वर्णित आराजी खसरा नं. 387 रकबा 0.43 हैक्टेयर स्थित ग्राम खेडीघाटम में सायलान एवं गैरसायल सं. 2 के पति/पिता शीतल पुत्र किशोरी का हिस्सा 1/3 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, उक्त आराजी में झूंता पुत्र रामदेव का हिस्सा 1/3 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है एवं गैरसायल सं. 4 का हिस्सा 1/3 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, जिनमें से सायलान द्वारा भूमि खातेदार झूंता पुत्र रामदेव मीना निवासी झारेडा को बतौर खातेदार काश्तकार मुकदमा हाजा में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है जिन्हें पक्षकार मुकदमा बनाये बिना विधिक रूप से उक्त आराजी का विधिवत बंटवारा करवाया जाना कतई सम्भव नहीं है।

यह कि उक्त मद में वर्णित आराजी खसरा नं. 460 रकबा 0. 55 हैक्टेयर, 466 रकबा 0.47 हैक्टेयर, 467 रकबा 0.38 हैक्टेयर, 468 रकबा 0.31 हैक्टेयर, 507 रकबा 0.29 हैक्टेयर, 508 रकबा 0.20 हैक्टेयर, 551/1246 रकबा 0.19 हैक्टेयर, 552 रकबा 0. 04 हैक्टेयर, 553 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 556 रकबा 0.09 हैक्टेयर, कुल किता 10 कुल रकबा 2.58 हैक्टेयर स्थित ग्राम खेडीघाटम, तहसील श्रीमहावीरजी में सायलान एवं गैरसायल सं. 2 के पिता व पति शीतल पुत्र किशोरी का हिस्सा 1/2 एवं गैरसायल सं. 4 का हिस्सा 1/2 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में वर्णित तथ्य गलत है स्वीकार नहीं है। दिनांक 29.06.2021 को सुबह 10 बजे या अन्य किसी दिन सायलान के हिस्से की आराजी को आगामी फसल के लिए तैयार करते समय गैरसायलान में से कोई अपने हमराहियों के साथ मौके पर नहीं आये और ना ही खेतों पर उनके हिस्से पर काश्त करने से मना किया, शेष तथ्य गलत होने के कारण स्वीकार नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं. 4 गलत है, स्वीकार नहीं है। सायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं है, जबकि गैरसायलान को पाबंद किये जाने से उन्हें बमुकाबले सायलान अत्यधिक क्षति होगी जिसकी पूर्ति इन टर्मस ऑफ मनी नहीं हो सकेगी, इस कारण उन्हें पाबंद किया जाना किसी भी प्रकार न्यायसंगत नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 गलत है, स्वीकार नहीं है। विवादित आराजी के एक इंच भाग पर भी सायलान का कोई

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

कब्जा कभी नहीं रहा है, इस कारण प्राइमाफेसी केस सायलान के पक्ष में साबित नहीं है, ना ही सुविधा का संतुलन सायलान साबित है।

उज्रात मजीद

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि भूमि खसरा नं. 387 रकबा 0.43 हैक्टेयर स्थित ग्राम खेडीघाटम में स्थित साबिक मालिक गंगासहाय पुत्र किशोरी से उनका सम्पूर्ण हिस्सा 1/3 एवं खसरा नं. 460, 466, 467, 468, 507, 508, 551/1246, 552, 553, 556. कुल किता–10 कुल रकबा 2.58 हैक्टेयर में स्थित साबिक मालिक गंगासहाय पुत्र किशोरी का सम्पूर्ण हिस्सा 1/2 गैरसायल सं. 4 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 09.04.2021 को खरीद कर कब्जे में लिया है, जिसके आधार पर गैरसायल सं. 4 के पक्ष में नामान्तकरण सं. 471 दिनांक 22.10.2024 को राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल हो गया है, गैरसायल सं. 4 खसरा नं. 387 में हिस्सा 1/3 की एवं शेष खसरों में हिस्सा 1/2 की खातेदार काश्तकार है, सायलान द्वारा हस्तगत वाद/प्रार्थना पत्र में खसरा नं. 387 की भूमि के हिस्सा 1/3 के खातेदार झूंता पुत्र रामदेव को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है जिसके अभाव में दावा/प्रार्थना पत्र सायलान विधिक रूप से पोषणीय नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि मुकदमा हाजा में सायल सं. 1 जो कि साबिक में मुकेश मीना की पत्नी रही है, सायल सं. 1 व मुकेश मीना के नुफ्ते से गैरसायल सं. 2 पैदा हुआ है, जिसे सायल सं. 1 द्वारा गैरसायल सं. 1 के सहोदर भाई शीतल के साथ नाता विवाह करते समय अपने साथ लंगेटा के तौर पर साथ लाया गया है, सायल सं. 1 एवं गैरसायल सं. 1 के सहोदर भाई शीतल के केवल सायल सं. 2 पुत्री के तौर पर पैदा हुई है। गैरसायल सं. 2. गैरसायल सं. 1 का कोई नैसर्गिक पुत्र नहीं है, ना ही उसे गैरसायल सं. 1 द्वारा अपनी जाति परम्परा व रिवाजों के अनुरूप कभी गोद लिया है, ना ही कभी गोद पुत्र के तौर पर स्वीकार किया है, फिर भी सायलान द्वारा न्यायालय से सही व सत्य तथ्यों को छिपाकर गैरसायल सं. 2 को गैरसायल सं. 1 का नैसर्गिक पुत्र बताकर हस्तगत वाद/प्रार्थनापत्र विधि विरूद्ध रूप से आपस में साज कर पेश कर दिया है, इसलिए भी दावा/प्रार्थनापत्र सायलान काबिले खारिज है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि मुकदमा हाजा में विवादित आराजी खसरा नं. 387, 460, 466, 467, 468, 507, 508, 551/1246, 552, 553, 556 में रिकॉडेड दर्ज हिस्सा की आराजी पर गैरसायल सं. 4 बहैसियत खातेदार काबिज व दखील है, जिसके एक इंच भाग पर भी सायलान या गैरसायल सं. 2 का कोई कब्जा कभी नहीं

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

रहा है, कब्जे के अभाव में प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा पोषणीय नहीं है एवं काबिले खारिज है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा सायलान खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2071–74 किता 2 पेश किये हैं।

इसके विपरीत वकील गैरसायल सं01 व 4 ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.04.2021 उनवानी गंगासहाय पुत्र किशोरी जाति मीना निवासी झारेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली बहक श्रीमती सुमन मीना धर्म पत्नि श्री दिनेश मीना जाति मीना निवासी मंडावरा तहसील सपोटरा जिला करौली पेश की है।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है इसके विपरीत वकील गैरसायल सं0 1व 4 ने दौराने बहस जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। वकील सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 460 रकबा 0.55 है0, 466 रकबा 0.47 है0, 467 रकबा 0.38 है0, 468 रकबा 0.31 है0, 507 रकबा 0.29 है0, 508 रकबा 0.20 है0, 551/1246 रकबा 0.19 है0, 552 रकबा 0.04 है0, 553 रकबा 0.06 है0, 556 रकबा 0.09 है0, कुल किता 10 कुल रकबा 2.58 है0 वाके ग्राम खेड़ीघाटम तहसील हिण्डौन की खातेदारी गंगासहाय पुत्र किशोरी हिस्सा 1/2 जाति मीना सा0 झारेडा खातेदार, शीतल पुत्र किशोरी हि0 1/2 जाति मीना सा0 झारेडा खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 387 रकबा 0.43 है0 स्थित ग्राम खेड़ीघाटम तहसील हिण्डौन की खातेदारी गंगासहाय पुत्र किशोरी हिस्सा 1/3 जाति मीना सा0 झारेडा खातेदार, झूता पुत्र रामदेव हि0 1/3 जाति मीना सा0 झारेडा खातेदार, शीतल पुत्र किशोरी हि0 1/3 जाति मीना सा0 झारेडा खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

इसके विपरीत वकील गैरसायल सं01 व 4 ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.04.2021 उनवानी गंगासहाय पुत्र किशोरी जाति मीना निवासी झारेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली –विक्रेता प्रथमपक्ष बहक श्रीमती सुमन मीना धर्म पत्नि श्री दिनेश मीना जाति मीना निवासी मंडावरा तहसील सपोटरा जिला करौली – क्रेता द्वितीय पक्ष के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 460 रकबा 0.55 है0, 466 रकबा 0.47 है0, 467 रकबा 0.38 है0, 468 रकबा 0.31 है0, 507 रकबा 0.29 है0, 508 रकबा 0.20 है0, 551/1246 रकबा 0.19 है0, 552 रकबा 0.04 है0, 553 रकबा 0.06 है0, 556 रकबा 0.09 है0, कुल किता 10 कुल रकबा 2.58 है0 वाके ग्राम खेड़ीघाटम तहसील हिण्डौन में विक्रेता प्रथमपक्ष ने निहित अपने सम्पूर्ण हिस्सा 1/2 भाग की भूमि को एवं खसरा नम्बर 387 रकबा 0.43 है0 वाके ग्राम खेडीघाटम तहसील हिण्डौन में विक्रेता प्रथमपक्ष ने निहित अपने सम्पूर्ण हिस्सा 1/3 भाग की भूमि को क्रेता द्वितीय पक्ष को बेचान किया जाना तथा विक्रीत भूमि पर कब्जा क्रेता को संभलाना अंकित किया है। इस प्रकार उक्त विवादित आराजीयात में खातेदार गैरसायल सं01 गंगासहाय पुत्र किशोरी के स्थान पर गैरसायल सं04 श्रीमती सुमन मीना खातेदार काश्तकार है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 460 रकबा 0.55 है0, 466 रकबा 0.47 है0, 467 रकबा 0.38 है0, 468 रकबा 0.31 है0, 507 रकबा 0.29 है0, 508 रकबा 0.20 है0, 551/1246 रकबा 0.19 है0, 552 रकबा 0.04 है0, 553 रकबा 0.06 है0, 556 रकबा 0.09 है0, कुल किता 10 कुल रकबा 2.58 है0 वाके ग्राम खेड़ीघाटम तहसील हिण्डौन में सायल सं01 के पति एवं सायल सं02 के पिता शीतल हिस्सा 1/2 भाग के एवं गैरसायल सं0 4 शीतल हिस्सा 1/2 भाग के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं तथा खसरा नम्बर 387 रकबा 0.43 है0 वाके ग्राम खेडीघाटम तहसील हिण्डौन में सायल सं01 के पति एवं सायल सं02 के पिता शीतल हिस्सा 1/3 भाग के एवं गैरसायल सं0 4 शीतल हिस्सा 1/3 भाग के, झूता पुत्र रामदेव हि0 1/3 जाति मीना सा0 झारेडा रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं। मुताविक राजस्व रिकार्ड सायलान ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन के निवासी है जबकि सायलान ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में अपना निवास स्थान खेडीघाटम तहसील हिण्डौन अंकित किया है। इस प्रकार सायलान ग्राम खेडीघाटम तहसील हिण्डौन के निवासी होने के कारण भी प्रार्थना पत्र पेश करने के अधिकारी नहीं हैं। सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है तथा गैरसायल सं04 उक्त विवादित आराजीयात के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार होने के कारण गैरसायल सं04 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि संयुक्त खातेदारी के प्रत्येक इंच भू– भाग पर

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा काश्त माना जाता है जबतक कि उन सहखातेदारों के मध्य विधिवत रूप से विभाजन होकर पृथक पृथक खाता व लगा कायम नहीं हो जाता है। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 460 रकबा 0.55 है0, 466 रकबा 0.47 है0, 467 रकबा 0.38 है0, 468 रकबा 0.31 है0, 507 रकबा 0.29 है0, 508 रकबा 0.20 है0, 551/1246 रकबा 0.19 है0, 552 रकबा 0.04 है0, 553 रकबा 0.06 है0, 556 रकबा 0.09 है0, 387 रकबा 0.43 है0 वाके ग्राम खेड़ीघाटम तहसील श्रीमहावीरजी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/11/25

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)